

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर  
क्रमांक:-प.1ग( )का/एसएमई/डीएलबी/19/५१३६      दिनांक: १३.१९  
—आदेश:—

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 336 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नांकित कर्मचारियों का स्थानान्तरण/पदस्थापन निर्देशानुसार तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार किया जाता है:—

क्र.सं.	नाम कार्मिक	पदनाम	कहाँ से	कहाँ को
1	श्री गोपाल गुर्जर	कनिष्ठ सहायक	निम्बाहेड़ा	एपीओ निदेशालय
2	श्री सुरेश मालिया	जमादार	केशवरायपाटन (स्थानान्तरणाधीन)	अनूपगढ़
3	श्री जगदीश चन्द्र पुत्र लक्ष्मीनारायण	फायरमैन	हनुमानगढ़	भादरा
4	श्री गजेन्द्र सिंह	स्वारथ्य निरीक्षक	सवाई माधोपुर	एपीओ निदेशालय
5	श्री विकाश शर्मा	कनिष्ठ सहायक	सवाई माधोपुर	एपीओ निदेशालय
6	श्री पवन कुमार जौशी	कनिष्ठ सहायक	खण्डला (स्थानान्तरणाधीन)	मालपुरा
7	श्री संजय कुमार शर्मा	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	खण्डला (स्थानान्तरणाधीन)	मालपुरा
8	श्री गोपाल सैनी	फायरमैन	सुरतगढ़	एपीओ निदेशालय
9	गीता कुमारी बनडिया	फायरमैन	एपीओ से फतेहपुर (स्थानान्तरणाधीन)	खाटूश्यामजी
10	श्री सुनील चौधरी	फायरमैन	सरदारशहर	राजगढ़(चूल)
11	श्री महेन्द्र कुमार भीना	सफाई कर्मचारी	नदबई	महवा
12	श्री समय सिंह मीणा	सफाई कर्मचारी	बिलाडा	महवा
13	श्री दिनेश चन्द्र शर्मा	कनिष्ठ लिपिक	दौसा	एपीओ निदेशालय
14	श्री अशोक कुमार	वाहन चालक	दौसा	एपीओ निदेशालय
15	सोनीका गुप्ता	फायरमैन	एपीओ निदेशालय	बूंदी

उपरोक्त सभी कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश द्वारा अपने वर्तमान पद से स्वतः कार्यमुक्त माने जाएंगे तथा बिना कोई कार्यग्रहण काल का उपयोग किए अविहम्ब अपने नवीन पद पर कार्यग्रहण करेंगे।


नोट:—

01. स्थानान्तरित कर्मचारी के पदनाम में कोई परिवर्तन हो तो तुरन्त विभाग को अवगत करावें अन्यथा व्यक्तिशः जिम्मेदारी होगी।
02. स्थानान्तरित कर्मचारी का सेवाभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त ही इन्हें वेतन का भुगतान किया जावें।
03. यदि कर्मचारी दैनिक घेतनन्मोगी/संविदा पर नियुक्त हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावें एवं कार्यमुक्त नहीं किया जाकर विभाग को अवगत करावें।
04. यदि कर्मचारी सेवानिवृत्त/किसी अन्य कारणों से सेवा से पृथक हो गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावें।
05. वर्ष 2018 में लाटरी के द्वारा नियुक्त सफाई कर्मचारियों का उक्त सूची में नाम हो तो स्थानान्तरण नहीं माना जावे।
06. उक्त कार्मिकों को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(सुनिल भाटी)  
अतिरिक्त निदेशक

फ्रमांक : प.1(ग) ( )का/एसएमई/डीएलबी/19/५१३७-५१८० दिनांक : १३.१९  
प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वा.शा.वि., राज, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव महो० स्वायत्त शासन विभाग जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर
4. महापोर/सभापति/अध्यक्ष/आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका,
5. उपनिदेशक (हैंड्रिय) स्थानीय निकाय विभाग
6. संबंधित कर्मचारी
7. सुरक्षित पत्रावली।

  
(सुनिल भाट्टी)  
अतिरिक्त निदेशक